न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2024(GCMS 2021/121)
(आरटीआई संख्या 212022863357580)

श्री राजेश कुमार गोस्वामी पुत्र श्री शंकर लाल पता एच 28 वार्ड नं. 5, गांव असरासर, पोस्ट ऑफिस अर्जनसर, तहसील लूनकरनसर, जिला बीकानेर (मोबाईल नम्बर 94686–41363)

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर स्टेशन, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजेश कुमार गोस्वामी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर स्टेशन से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.04..2024 से दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राजेश कुमार गोस्वामी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.04.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दस बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:09 IST
Reason: SelfAttested

> 1. यह है कि आपके कार्यालय उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन में कुल कितने [illegible] लगे हुए है तथा सभी एयरकंडीशनर कितने कितने पावर टन के है, उसकी सूचना तीन प्रमाणित प्रतिलिलिपयों में उपलब्ध करावें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2. यह कि आपके कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) राजियासर में जो एयरकंडिशनर लगे है वो किस मद से खरीदे है तथा उनकी प्रत्येक की लागत मूल्य क्या है और इनका कितने रूपये का भुगतान किया गया है तथा कार्यालय में लगी सभी एयरकंडिश्नर का प्रमाणित बिल जिस फर्म से खरीदा गया है, उसकी तीन तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

3. यह कि आपके कार्यालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर में जो एयरकंडिशनर लगे है वो सरकार के कौनसे नियम एवं सर्कुलर के तहत स्थापित किया गया है अगर ऐसा नियम/ सर्कुलर हो तो उसकी सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

4. यह कि आपके कार्यालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर में जो एयरकंडिशनर लगे है वो किस दिनांक को लगाये गये है तथा उस समय उपतहसीलदार के पद पर स्थापित उपतहसीलदार का नाम एवं वर्तमान पदस्थापित जगह का नाम की प्रमाणित सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

5. यह कि आपके कार्यालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर में जो एयर कंडिशनर लगे है वो किस दिनांक को लगाये गये है तथा उस समय उपतहसीलदार के पद पर स्थापित उप तहसीलदार का नाम एवं वर्तमान पदस्थापित जगह का नाम की प्रमाणित सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. यह कि आपके कार्यलय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर में जो एयरकंडिशनर लगे हे उनका बिजली का बिल किस मद से भुगतान किया जा रहा है तथा अब तक एयरकंडिशनर लगाने के बाद से कितने माह का कुल कितना भुगतान आपके कार्यालय द्वारा विद्युत विभाग को कर दिया है, उसकी प्रमाणित सूचना तीन तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

7. यह कि आपके कार्यालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर में पिछले दो वर्ष में किये गये बिजली विभाग को बिजली बिल का भुगतान से सम्बन्धित 2 वर्ष की बिजली बिल की प्रतिलिपि सहित सूचना उपलब्ध करावें तथा उक्त बिजली बिलों का भुगतान किस मद से किया गया है पूर्ण प्रमाणित सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

8. यह कि आपके कार्यालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर में जो एयरकंडिशनर लगे है उनको लगाने एवं सरकारी खजाने मे बिजली बिल का भुगतान करने से सम्बन्धित जो भी अनुमति आपके कार्यालय में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार या किन्ही उच्चाधिकारियों से ली है तो उसकी प्रमाणित सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

9. यह कि आपका कार्यालय उप तहसीलदार (राजस्व) राजियासर सरकार के जिस नियम/सर्कुलर के तहत एयरकंडिश्नर लगाने का अधिकार रखता है उसकी प्रमाणित सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

10. यह कि कार्यालय उप तहसी[illegible]जस्व) राजियासर में पदस्थापित वर्तमान उप तहसीलदार [illegible]–पे कुल कितना है उसकी प्रमाणित सूचना तीन–तीन प्रमाणित प्रतिलिपियों में उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपतहसीलदार (राजस्व), राजियासर स्टेशन ने अपने पत्रांक राजस्व/2024/152 दिनांक 10.06.2024 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

1. राजियासर उपतहसील कार्यालय में कुल तीन एयरकंडिश्नर लगे हुए है जो 1.5 टन के है।
2. उपतहसील कार्यालय में लगे हुए एयरकंडिश्नर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा क्रय किये गये है अतः आप द्वारा चाही गई सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग से ली जावे।
3. उपतहसील कार्यालय में एयरकंडिशनर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा क्रय किये गये है उक्त एयरकंडिश्नर किस सर्कुलर/नियम द्वारा क्रय किये गये की पीडब्ल्यूडी विभाग से ली जावे।
4. एयरकंडिश्नर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ही लगाये गये है इसलिए सूचना पीडब्लयूडी विभाग से ली जावे।
5. पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बिल्डिंग हैंडऑवर दिनांक 12.08.2016 को की गई, उस दौरान एयरकंडिश्नर लगे हुए थे उस समय कार्यवाहक उपतहसीलदार श्री श्यामलाल धवन थे, जो वर्तमान में सेवानिवृत हो चुके है।
6. राजियासर उपतहसील कार्यालय के बिजली बिल का भुगतान तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा किया जाता है अतः उक्त सूचना तहसीलदार सूरतगढ़ से ली जावे।
7. राजियासर उपतहसील कार्यालय के बिजली बिल का भुगतान तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा किया जाता है अतः उक्त सूचना तहसीलदार, सूरतगढ़ से ली जावे।
8. उपतहसील कार्यालय में लगे हुए एयरकंडिश्नर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लगाये गये है इसलिए सूचना पीडब्ल्यूडी विभाग से ली जावे।
9. उपतहसील कार्याल[illegible] लगाने सम्बन्धि नियम/ सर्कुलर सम्बन्धित विभाग पीडब्ल[illegible] से [illegible] करें।
10. उपतहसीलदार रा[illegible] तहसीलदार सूरतगढ द्वारा आहरण वितरण किया जाता है सूचना तहसी[illegible]र सूरतगढ़ से प्राप्त करें।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:09 IST
Reason: SelfAttested

उपतहसीलदार (राजस्व) राजियासर स्टेशन ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 2, 3, 4, 8, एवं 9 में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पीडब्ल्यूडी से सम्बन्धित है तथा बिन्दु संख्या 6, 7 और 10 में चाही गई सूचना तहसीलदार, सूरतगढ से सम्बन्धित है इसलिए अपीलार्थी अपनी उक्त सूचनाओं हेतु पीडब्ल्यूडी एवं तहसीलदार, सूरतगढ से सम्पर्क कर नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है। बिन्दु संख्या 1 और 5 की सूचना नायब तहसीलदार, राजियासर स्टेशन द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **उपतहसीलदार, राजियासर स्टेशन** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **उपतहसीलादर, राजियासर स्टेशन** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे [illegible] बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.03.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:50:09 IST
Reason: SelfAttested

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर